

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक  
कलक्टर, सिणधरी

क्रमांक:- ग्रा. से.शि/2025/ 401

प्रकरण सं:- 277/2025  
दिनांक:- 21/10/25

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हाखां व मू.अ.  
नि. शु.नि. कगातसिंह की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर  
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम 206  
तहसील सिणधरी व जिला बालोतरा की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 में खाता संख्या 22  
में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल  
दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	हाखां	22	192/53 199/57 204/60 20/54 55 56	केहनाराम श्री. लिखनाराम	किशनाराम श्री. लिखनाराम

*(समदरसिंह भाटी)*

(समदरसिंह भाटी)  
पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर सिणधरी

दिनांक:- 21/10/25

क्रमांक:- सम./2025/ 402-404  
प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावें।
2. प्राथी शु.नि. कगातसिंह तहसील सिणधरी को सूचनाथे।
3. रक्षित पत्रावली।



*(समदरसिंह भाटी)*  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर सिणधरी